राजस्थान–सरकार
वित्त विभाग
(विधि प्रकोष्ठ)

क्रमांकः एफ.14 (विधि) वित्त/विप्र/2019 जयपुर, दिनांकः 13.09.2021

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष ।

परिपत्र

विषयः–राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण करवाये जाने के संबंध में।
संदर्भः–विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) जारी पत्र क्रमांक प. 12(07)राज./वाद/2012 दिनांक 03.08.2021(प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं। इस क्रम में समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अनुरोध है कि निम्नांकित प्रकार के प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(1) सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरणः
सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण सामान्यतः परिलाभों के विलम्बित भुगतान से संबंधित है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग द्वारा शीघ्रताशीघ्र राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 एवं वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.07.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उपरोक्त कार्यवाही न्यायालय में लंबित प्रकरणों, 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्राप्त विधिक नोटिस एवं इस संबंध में दायर रिट की प्रति विभाग में प्राप्त होने पर किया जाना अपेक्षित है।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों से संबंधित प्रकरणः
पूर्व में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.07.2012, वित्त विभाग द्वारा जारी पपिरपत्र दिनांक 19.02.2016 एवं श्रम विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.03.2018 के द्वारा श्रमिकों को सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने के स्थान पर एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि देते हुये प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः संबंधित विभाग उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में प्रकरणों का एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण के प्रयास करें।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व में अंतिम रूप से निर्णित प्रकरणों के अुनसार अनुतोष चाहा गया है तथा वर्तमान केस के तथ्य पूर्व निर्णित न्यायिक प्रकरण के समान है तथा इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व निर्णय के अनुसार पालना की स्थाई

सहमति वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग की पत्रावली पर दी जा चुकी है, ऐसे प्रकरणों में कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/नोटिस फॉर डिमाण्ड ऑफ जस्टिस/न्यायालय में दायर रिट की प्रति प्राप्त होने पर/न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों का निस्तारण वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग की पत्रावली पर दी गई स्थाई सहमति के क्रम में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी वादकरण नीति वर्ष 2020 के पैरा 8.11(ii) के अनुसार यदि किसी विषय पर पूर्व में अंतिम रूप से निर्णित प्रकरणों के अनुसार अनुतोष चाहा गया है तथा वर्तमान केस के तथ्य पूर्व निर्णित प्रकरण के समान हैं तो इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व निर्णय के अनुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जाये ताकि अनावश्यक रूप से राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पडे। इसी प्रकार वादकरण नीति 2018 के अध्याय 12 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:–

"12.MATTERS COVERED BY PREVIOUS JUDGMENTS

12.1 A good number of cases may involve similar nature of claims. Each Department will strive to redress and settle claims of the applicants/employees/citizens, if the claim is found covered by any final decision of the Court/Department, for example, number of service matters of similar nature can be disposed of at the level of the Department itself without compelling the litigant to go to the Court. In this manner, the Departments would be acting as efficient litigants."

अतः ऐसे विषय जिनके संबंध में एकाधिक न्यायिक निर्णयों की पालना न्यायिक प्रकरण के अंतिम रूप से निर्णित होने के आधार पर की जा चुकी है, ऐसे समान प्रकरणों में भी न्यायिक निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को परीक्षण हेतु प्रशासनिक विभाग की स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रेषित किये जायें तथा वित्त विभाग के मत के अनुसार इनमें आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करते हुये प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त